कार्यालय उप निदेशक, यू.सी.आर.आर.एफ.पी., गोदावरी काम्प्लैक्स, निकट के.वी.एम. स्कूल, हीरानगर, नैनीताल प्रभाग, हल्द्वानी

ईमेल :– ucrrfpntl@gmail.com फोन / फैक्सः 05946–298333

पत्रांक :– 510 / 29- वाहन ::हल्द्वानी:: दिनांकः 15/04/ 2026

निविदा सूचना

महामहिम राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 में UCRRFP, नैनीताल प्रभाग, हल्द्वानी अन्तर्गत निम्नानुसार यूनिट कार्यालयों हेतु राजकीय कार्यों के संचालनार्थ एक–एक चार पहिया डीजल चालित टैक्सी परमिट बौलेरो वाहन, पंजीकृत वर्ष 2024 / 2025 / 2026 को मय वाहन चालक के मासिक किराये पर लिये जाने के लिये दिनांक **06.05.2026** के अपरान्ह् 12:30 बजे तक परिवहन विभाग में व्यावसायिक पंजीकृत वाहन को इच्छुक वाहन स्वामियों / ट्रेवल एजेन्सियों से पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट द्वारा बंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित किये जाते हैं, जो इसी तिथि को अपरान्ह् 1:00 बजे अधोहस्ताक्षरी या उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोले जायेगें।

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम जिस हेतु किराये के वाहन की आवश्यकता है।	वाहनों की संख्या	निविदा प्रपत्र का मूल्य	नेक जमानत
1.	यू.सी.आर.आर.एफ.पी., नैनीताल प्रभाग, हल्द्वानी अन्तर्गत सिनार, (**हल्द्वानी**) / कालाढ़ुँगी–1(**कालाढ़ुँगी**) / कालाढ़ुँगी–2, (**कोटाबाग**) / **किच्छा** यूनिट हेतु।	4 (चार) वाहन प्रत्येक यूनिट हेतु एक–एक	Rs. 500 + GST 18%	रू0 8400/– प्रति वाहन

निविदा की शर्तें–

1. इच्छुक वाहन स्वामियों / ट्रेवल एजेन्सियों को निविदा को रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोस्ट से बंद लिफाफे में भेजना आवश्यक होगा। जिसके साथ नेक जमानत के रूप में रू0 8400/– मात्र की धनराशि का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ.डी.आर. / सी.डी.आर., या राष्ट्रीय बचत पत्र जो अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से निरूपित हो, को संलग्न करना होगा।
2. लिफाफे के बाहर बावत मासिक किराये पर वाहन किराया लिखा होना आवश्यक होगा।
3. वाहन का मॉडल / पंजीकृत वर्ष 2024 / 2025 / 2026 का होना चाहिऐ।
4. निविदादाता निविदा प्रपत्र को दिनांक **04.05.2026** तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से उक्तानुसार निविदा प्रपत्र का मूल्य नकद जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।
5. निविदा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 06.05.2026 के अपरान्ह 12:30 बजे तक तक पहुंच जाना चाहिए, जो इसी तिथि को अपरान्ह् 1:00 बजे खोले जायेगें। निविदा खोले जाने की निर्धारित तिथि व समय पर निविदादाता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित होना चाहें तो उपस्थित रह सकते हैं।
6. किराये में लिये जा रहे वाहन का उपयोग विभाग की कार्यपूर्ति के अनुरूप 24 घंटे में किसी भी समय किया जा सकता है।
7. वाहन में ईधन विभाग द्वारा भरवाया जायेगा, जिसकी खपत मासिक रूप से निकाली जायेगी, जो कि निविदा में अंकित औसत से कम नही होनी चाहिए। अन्यथा अधिक खपत हेतु ईधन के मूल्य की वसूली वाहन किराये के मासिक देयक से की जायेगी।
8. वाहन उत्तराखण्ड राज्य परमिट से आच्छादित होना आवश्यक होगा। किसी भी निजी वाहन (Non Transport Vehicle) की निविदा स्वीकार नही किया जायेगा। वाहन की सर्विसिंग एवं मरम्मत वाहन स्वामी को स्वंय अपने व्यय पर करानी होगी।
9. वाहन का रोड टैक्स, इन्श्योरेन्स तथा चालक के ड्राईविंग लाइसेन्स को अपने व्यय पर अप टू डेट रखने की जिम्मेदारी वाहन स्वामी की होगी। ऐसा न करने पर पुलिस / परिवहन निगम द्वारा यदि कोई दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है तो इसके वाहन स्वामी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा। ऐसी अवांछित परिस्थिति में विभाग की ओर से भी समुचित पैनाल्टी वाहन स्वामी पर डालकर उसकी वसूली की जा सकती है।
10. वाहन की मरम्मत / सर्विसिंग आदि के लिये प्रतिमाह अधिकतम एक दिन की ड्यूटी अवकाश देय होगा, परन्तु इससे अधिक ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर दैनिक आधार पर मासिक किराये से कटौती की जायेगी।
11. कार्यादेश जारी करने के उपरान्त यदि वाहन स्वामी / विभाग अपनी सेवायें देने / लेने का इच्छुक नही रहता है तो उसे वाहन ड्यूटी से हटाने से पूर्व एक माह का नोटिस देना होगा।

12. वाहन स्वामी द्वारा वाहन के किराये का मासिक आधार पर बिल प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया की कार्यवाही की जायेगी।
13. इच्छुक वाहन स्वामी/ एजेन्सी को मासिक किराये की दर प्रतिमाह ~~संलग्न~~ निविदा प्रपत्र में देनी होंगी एवं निविदा प्रपत्र में दिये गये विवरण का साक्ष्य के रूप में संलग्न की अभिलेखों की स्व–प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
14. शर्तिया/ बिलम्ब से प्राप्त निविदा को स्वीकार नही किया जायेगा।
15. वाहन का पंजीकरण व्यावसायिक वाहन के रूप में परिवहन विभाग से होना आवश्यक है। वाहन का इश्योरेन्स तथा फिटनेस एवं रोड टैक्स आदि अभिलेखों सहित वाहन स्वामी द्वारा स्वंय कराकर प्रस्तुत करना होगा। वाहन चालक का ड्राईविंग लाइसैन्स जो कि वर्तमान में लागू हो का भी होना आवश्यक होगा।
16. मोबिल ऑयल एवं लूब्रीकेन्ट्स की व्यवस्था वाहन स्वामी द्वारा स्वंय की जायेगी।
17. किराये पर लिये जा रहे वाहन की दुर्घटना की स्थिति में किसी भी प्रकार चिकित्सा/ बीमा/ मुआवजा व अन्य विधिक आवश्यकताओं का अनुपालन संबंधित वाहन स्वामी द्वारा स्वंय किया जायेगा तथा वाहन के दुर्घटनाग्रस्त/ खराब होने की दशा में विभाग द्वारा कोई क्षतिपूर्ति देय नही होगी।
18. चालक पर आवास व भोजन आदि पर होने वाले व्यय एवं वाहन का रख–रखाव वाहन स्वामी/ एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। विभाग द्वारा वाहन चालक/ वाहन का कोई भी व्यय वहन नही किया जायेगा।
19. सफल निविदादाता द्वारा कार्य के संबंध विभिन्न अधिनियमों/ नियमों यथा श्रम अधिनियम, न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम, पी.एफ., ई.एस.आई., मोटरयान अधिनियम आदि में भी विहित व्यवस्थाओं/ नियमों/ औपचारिकताओं का यथा लागू अनुपालन किया जायेगा।
20. वाहन व वाहन चालक का मुख्यालय आवश्यकतानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित होगा।
21. राजकीय वाहन उपलब्ध होने पर किराये का वाहन का अनुबन्ध/ इकरारनामा स्वतः ही समाप्त माना जायेगा।
22. सफल निविदादाता को यात्रा के दौरान सभी प्रकार के टौल टैक्स, प्रवेश कर, पार्किंग चार्ज आदि का भुगतान स्वंय करना होगा।
23. अनुबन्धित वाहन की मरम्मत किये जाने की स्थिति में वाहन स्वामी/ एजेन्सी को विभाग की आवश्यकतानुसार उसी दर पर अन्य वाहन उपलब्ध कराना होगा, जिस दर पर उक्त वाहन अनुबन्धित किया गया है। यदि उसके द्वारा ऐसा नही किया जाता है तो उसके द्वारा जमा नेक जमानत को जब्त कर लिया जायेगा।
24. ये दरें वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिये मान्य होंगी।
25. वाहन किराये पर लिये जाने में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वाहन स्वामी/ एजेन्सी को परियोजना निदेशक, कुमाऊँ क्षेत्र, हल्द्वानी का निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा, यदि न्यायिक विवाद होता है तो न्याय क्षेत्र संबंधित प्रभाग के मुख्यालय में रहेगा।
26. अधोहस्ताक्षरी को किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत/ अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

~~संलग्नक–निविदा प्रपत्र~~।

Digitally signed by SHIV KUMAR UPADHYAYA
Date: 2026.04.15 11:40:05 +05'30'

उप निदेशक,
यू.सी.आर.आर.एफ.पी.,
नैनीताल प्रभाग, हल्द्वानी

पत्रांक 510 / दिनांकित।

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून को सादर सूचनार्थ।
2. परियोजना निदेशक (प्रशासन), जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून को सादर सूचनार्थ।
3. परियोजना निदेशक (यू.सी.आर.आर.एफ.पी.), जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि निविदा सूचना को विभाग की वेबसाईट में प्रदर्शित करवाने का कष्ट करें।
4. परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्धन, कुमाऊँ क्षेत्र–हल्द्वानी को इस अनुरोध के साथ कि कार्यालय नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।
5. उप निदेशक, यू.सी.आर.आर.एफ.पी., अल्मोड़ा प्रभाग, अल्मोड़ा।
6. कार्यालय नोटिस बोर्ड में चस्पा।

उप निदेशक,
यू.सी.आर.आर.एफ.पी.,
नैनीताल प्रभाग, हल्द्वानी